कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़।

(प्रशासनिक अनुभाग)

विज्ञप्ति

न्यायिक अधिष्ठान अलीगढ़ में कर्मचारीगण की कमी और न्यायालयों के निर्विघ्न सुचारू संचालन के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के **परिपत्र संख्याः- 14/एडमिन 'डी' सेक्शन** दिनांकितः- 15.10.2022 और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के **पत्रांक 447/मेन-ए/एडमिन. 'डी' सेक्शन /इलाहाबाद** दिनांकित 11.01.2023 में निहित पुनर्नियुक्ति विषयक निर्देशों के अधीन न्यायिक अधिष्ठान से सेवानिवृत -

(क) आशुलिपिकों/लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से ऐसे आशुलिपिकों/लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो, की अधोलिखित तालिकानुसार न्यायिक अधिष्ठान अलीगढ में आशुलिपिक/लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संभावित 144 रिक्त पदो के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति और

(ख) वाहन चालकों में से ऐसे वाहन चालक जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो, की अधोलिखित तालिकानुसार प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अलीगढ में वाहन चालक संवर्ग के 01 रिक्त पद पर पुनर्नियुक्ति की जानी है।

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी जो एक वर्ष तक की अवधि के लिए (यदि प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से न भरी जाये या 65 वर्ष की आयु पूर्ण न हो जाये या पूर्व में नोटिस द्वारा समाप्त न कर दी जाये या इनमें से जो पहले हो तक) की जायेगी। भर्ती साक्षात्कार एवं सम्बन्धित कर्मचारी के पूर्व सेवा अभिलेख एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

क्र०सं०	पद नाम	संभावित रिक्तियाँ
01	आशुलिपिक ग्रेड-III	16
02	वरिष्ठ सहायक	68
03	ग्रुप डी (आर्डली/प्यून/आफिस प्यून/फर्राश)	27
04	ग्रुप डी (प्रोसेस सर्वर) प्रोन्नति पद	33
05	वाहन चालक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय	1
	कुल	**145**

उक्त पदों का वेतनमान सम्बन्धित पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम वेतन से पेंशन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगा।

आवेदक अपना आवेदन दिनांकः- 04.03.2024 की सायं 04.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

विज्ञप्ति समस्त अवकाशप्राप्त आशुलिपिक/लिपिक /चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वाहन चालक के मध्य परिचालित कराई जाये। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिश बोर्ड पर चस्पा हो। कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय,अलीगढ़ व मा० उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड कराये।

एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिष्ठित स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित हो।

दिनांकः- 22.02.2024

22.2.24

जनपद न्यायाधीश
जनपद न्यायालय अलीगढ।

Scanned with OKEN Scanner